छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्र. 1573 /एफ–1–18/31/एस–2/2020 नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– राजनादगांव जिले के विकासखंड–खैरागढ़ की रूसे जलाशय फीडर नहर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :– 1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.–07/बो.प./प्रशा.स्वी./2020/3338, दिनांक 18.03.2020
2. मुख्य अभियंता का पत्र क्र.–29/डी–2/मगोक/2019/2022 रायपुर दि. 03.03.2021

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजनादगांव जिले के विकासखंड–खैरागढ़ की रूसे जलाशय फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 2853.89 लाख (रुपये अट्ठाईस करोड़ तिरपन लाख नवासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्य के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई (1917 हेक्टेयर) मे 1050 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति एवं 150 हेक्टेयर रबी सिंचाई सहित कुल 2067 हेक्टेयर क्षेत्र मे सिंचाई प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखे तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–23–जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष–4701, मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [10]–रूसे परियोजना, [800]–अन्य व्यय, 0101–राज्य आयोजना (सामान्य), (2898) बाँध तथा संलग्न कार्य, #26–वृहद निर्माण कार्य, 005 बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.–1488/बजट–2/वित्त/चार/2021, दि. 24.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत मे मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25.03.2021

(प्रेमसिंह परेन्द)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

AARAA.199.doc.docx

पृ.क्र. 1374 /एफ 1-18/31/एस-2/2020 नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (विभाग), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर।
4. सचिव (वित्त) छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
9. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय वेब प्रकोष्ठ कक्ष क्र. एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

25/03/2021
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

AABAA 199 doc.docx